

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 203/2020

1. भागीरथ पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कुंजी त० भादरा।


:- वादी

ब नाम


- 1 मनीराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी कुंजी त० भादरा।
- 2 प्रेम प्रकाश } पिसरान मनीराम जाति जाट निवासीगण कुंजी त० भादरा।
- 3 रोहिताश }
- 4 बिमला पुत्री मनीराम पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी कुंजी त० भादरा हाल निवासी सरदारगढिया त० भादरा।
- 5 ओ०बी०सी० बैंक हाल पी०एन०बी० भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
- 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलेक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण सहारण II की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कुंजी के खाता सं० 89/84 के खसरा सं० 212/1 की कुल 6.981है० व रोही किकराली के खाता सं० 99/100 के खसरा सं० 48/1 की 1.872है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 मनीराम के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी भागीरथ व प्रतिवादी सं० 1 मनीराम, प्रतिवादी सं० 2 प्रेम प्रकाश, प्रतिवादी सं० 3 रोहिताश कुमार को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं  की मुद्रा के अन्तर्गत की गई।




(सत्यनारायण)
सहायक कलेक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 203/2020

1. भागीरथ पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कुंजी त० भादरा।

:- वादी

ब न म

1 मनीराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी कुंजी त० भादरा।

2 प्रेम प्रकाश } पिसरान मनीराम जाति जाट निवासीगण कुंजी त० भादरा।

3 रोहिताश }

4 बिमला पुत्री मनीराम पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी कुंजी त० भादरा हाल निवासी सरदारगढिया त० भादरा।

5 ओ०बी०सी० बैंक हाल पी०एन०बी० भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : वादी

वकील श्री श्रवण सहारण II : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 24.12.2020



संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा कुंजी के खाता सं० 89/84 के खसरा सं० 212/1 की कुल 6.981 है व रोही किकराली के खाता सं० 99/100 के खसरा सं० 48/1 की 1.872 है बारांनी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 मनीराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता मूलाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मूलाराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 मनीराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं० 6 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया। व प्रतिवादी सं० 5 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू भागीरथ पुत्र मनीराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कुंजी प्रदर्श 1 सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम किकराली संवत 2073-76 प्रदर्श 2 जमाबंदी रोही कुंजी संवत 2071-74 प्रदर्श 3 दादालाई जमाबंदी

किकराली संवत 2057-60 प्रदर्श 4, दादालाई नामांतरण रजिस्टर रोही कुंजी दिनांक 20.11.2003 प्रदर्श 5, दादालाई जमाबंदी रोही कुंजी खाता सं० 83/78 प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौरान बहस कहील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।


हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम कुंजी व किकराली के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 1 में वारिसप्रमाण पत्र में तीन पुत्र प्रेम प्रकाश, भागीरथ व रोहिताश व एक पुत्री बिगला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। रोही मौजा कुंजी के खाता सं० 89/84 के खसरा सं० 212/1 की कुल 6.981 है० व रोही किकराली के खाता सं० 99/100 के खसरा सं० 48/1 की 1.872 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 मनीराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर है। चूंकि प्रतिवादी सं० 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 संयुक्त रूप बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कुंजी के खाता सं० 89/84 के खसरा सं० 212/1 की कुल 6.981 है० व रोही किकराली के खाता सं० 99/100 के खसरा सं० 48/1 की 1.872 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 मनीराम के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हैं तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी भागीरथ व प्रतिवादी सं० 1 मनीराम, प्रतिवादी सं० 2 प्रेम प्रकाश, प्रतिवादी सं० 3 रोहिताश कुमार को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




सहायक (सत्यनारायण)
कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़